

क्रमांक/28(3)/एमपी आई.डी.सी./स्था-सेवा नियम 17/2018/ 8910

गोपाल दिनांक 2.02.2019

// आदेश //

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड हेतु सहायक यंत्री पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन भोपाल के पत्र क्रमांक एम.पी.ओ/बी.डी./9691 दिनांक 13.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची/प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान पे-बैंड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड पे 5400 (छठवें वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक यंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्वारा पदस्थ किया जाता है :-

सं.क्र.	आवेदक का आवेदन क्रमांक	ग्रेड स्कोर	अधिकारी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	अभियांत्रिकी प्रभाग	पदस्थापना का स्थान
1	FC0618000098	892	श्री चन्द्रशेखर	गौड बिल्लौर, पी.एस. बड़ पटना-803213	अनारक्षित	सिविल	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
2	FC0618000387	887	श्री सोहेल आसिफ	S/O मुहम्मद आसिफ, लोहिया नगर, सौरिख, कन्नौज-209728	अनारक्षित	सिविल	क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा
3	FC0618000375	400	श्री हर्षवर्धन सिंह मुदेल	A 7/24 वंसत विहार, नानाखेड़ा, उज्जैन-456010	अनुसूचित जन जाति	सिविल	क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर
4	FC0618000129	367	श्री अमित कुमार धुर्वे	MC-630 एन.सी.एल.खडिआ प्रोजेक्ट शाक्तिनगर, सोनमद-231222	अनुसूचित जन जाति	इलेक्ट्रिकल	एमपी.आई.डी.सी. भोपाल

- उपरोक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम-1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
- नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।
- यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5. नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 21 फरवरी 2019 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
6. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अम्यर्थियों को कर्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अम्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।
8. संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जांच उपरान्त पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अम्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल प्रबन्ध संचालक एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रहेगी।
9. इस आदेश से नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
10. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

*P. S. 21/19*  
(विवेक पौरवाल)  
प्रबन्ध संचालक

पू.क्र./28(3)/एमपी आई.डी.सी./स्था-सेवा नियम 17/2018 8711 - 8718 भोपाल दिनांक 01.2.2019  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

3. कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
4. महाप्रबन्धक प्रशासन एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया पृष्ठांकन क्रमांक 3 में वर्णित निर्देश अनुरूप ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ तथा आदेश प्रति निगम वेबसाईट में प्रदर्शित कराएँ।
5. श्री.....की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 21 फरवरी 2019 तक निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेव समाप्त माना जावेगा।

संलग्न :- चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारूप।

७८ कार्यकारी संचालक-प्रशासन 31/1/19